

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल: seaccg@gmail.com

क्र.1751/एस.ई.ए.सी.,छ.ग./मीटिंग/2023
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31/10/2023

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव,
प्राध्यापक, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययन विद्यालय, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
जाधव निवास, जय हिन्द चौक, राजा तालाब, रायपुर (छ.ग.)
2. श्री एन.के. चन्द्राकर,
मकान नम्बर 19, नवजीवन सोसायटी, पचपेड़ी नाका, रायपुर (छ.ग.)
3. श्री किशन सिंह ध्रुव,
सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना रायपुर,
जल संसाधन विभाग, डी-72 सेक्टर-01, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)
4. डॉ. मोहम्मद रफीक खान,
प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
5. डॉ. मनोज कुमार चोपकर,
सहप्राध्यापक, धातु कार्मिक एवं पदार्थ अभियांत्रिकी विभाग,
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, फ्लैट नम्बर 303, न्यू फैकल्टी ब्लॉक, रायपुर (छ.ग.)

विषय: राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 495वीं एवं 496वीं बैठक का आयोजन।

उपरोक्त विषयांतर्गत राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 495वीं एवं 496वीं बैठक डॉ. बी.पी. नोन्हारे की अध्यक्षता में क्रमशः दिनांक 08/11/2023 एवं 09/11/2023 को 10:30 बजे पूर्वान्ह नवा रायपुर अटल नगर, सेक्टर-19 में स्थित पर्यावास भवन के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक का एजेण्डा संलग्न है।

कृपया नियत तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।
संलग्न: यथोपरि।

or

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

क्र.1752/एस.ई.ए.सी.,छ.ग./मीटिंग/2023
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31/10/2023

डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, वार्ड नम्बर 49, साई मंगलम के समीप, विद्युत नगर, दुर्ग, 491001 की ओर बैठक के एजेण्डा नोट की प्रति सहित सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

or

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 495वीं बैठक
स्थान :- पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

दिनांक - 08/11/2023

समय - 10:30 बजे पूर्वान्ह

1.	एजेण्डा बिन्दु क्रमांक-1	493वीं एवं 494वीं बैठक क्रमशः दिनांक 26/10/2023 एवं 27/10/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।
2.	एजेण्डा बिन्दु क्रमांक-2	परिशिष्ट-01 अनुसार औद्योगिक परियोजनाओं गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।
3.	एजेण्डा बिन्दु क्रमांक-3	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

एजेण्डा
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़
495वीं बैठक दिनांक 08/11/2023

परिशिष्ट-01

- 495.1 मेसर्स हनुमन्त रि-रोलर्स, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम-बेन्द्री, तहसील व जिला-रायपुर, खसरा क्रमांक 300, कुल क्षेत्रफल-0.622 हेक्टेयर, रि-रोल्ड प्रोडक्ट क्षमता-10,500 टन प्रतिवर्ष (ऑनलाईन प्रोजल क्रमांक 443174, फाईल क्रमांक 2659) - टी.ओ.आर. हेतु।
- 495.2 मेसर्स साव मिनरल्स लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री संजय साव), ग्राम-गोण्डपेण्डी, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग, खसरा क्रमांक 87/2, 89 एवं अन्य 31, कुल क्षेत्रफल-0.611 हेक्टेयर, चूना पत्थर उत्खनन क्षमता-3,00,000 टन प्रतिवर्ष (ऑनलाईन प्रोजल क्रमांक 445027, ई.आई.ए., फाईल क्रमांक 2333) - पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु।
- 495.3 मेसर्स रायपुर फोर्जिंग प्राईवेट लिमिटेड, यूनिट-2 (डायरेक्टर- श्री सुनील कुमार केडिया), प्लॉट नं. 2 व 3, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम-अछोली, तहसील व जिला-रायपुर, कुल क्षेत्रफल-0.697 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ रोलिंग मिल क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष (ऑनलाईन प्रोजल क्रमांक 443284, फाईल क्रमांक 2660) - टी.ओ.आर. हेतु।
- 495.4 मेसर्स रायपुर फोर्जिंग प्राईवेट लिमिटेड, यूनिट-3 (डायरेक्टर- श्री सुनील कुमार केडिया), प्लॉट नं. 4, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम-अछोली, तहसील व जिला-रायपुर, कुल क्षेत्रफल-0.4065 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल (इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता-24,000 टन प्रतिवर्ष (ऑनलाईन प्रोजल क्रमांक 443314, फाईल क्रमांक 2661) - टी.ओ.आर. हेतु।
- 495.5 मेसर्स अग्रवाल राउण्ड रोलिंग मिल्स लिमिटेड, (डायरेक्टर- श्री सुशील अग्रवाल), जी.ई. रोड, टाटीबंध, तहसील व जिला-रायपुर, कुल क्षेत्रफल-0.6925 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन रोलिंग मिल क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष (ऑनलाईन प्रोजल क्रमांक 444363, फाईल क्रमांक 2670) - टी.ओ.आर. हेतु।
- 495.6 मेसर्स दलवीर सिंह एण्ड सन्स (मेडेसरा लाईम स्टोन माईन), ग्राम-मेडेसरा, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग, खसरा क्रमांक 1198/3, 1199/1 एवं अन्य 45, कुल क्षेत्रफल-29.2 हेक्टेयर, चूना पत्थर उत्खनन क्षमता-1,00,000 टन प्रतिवर्ष (ऑनलाईन प्रोजल क्रमांक 303915, फाईल क्रमांक 861) - टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु।
- 495.7 मेसर्स बलौदा सेण्ड माईन (प्रो.- श्री मयंक त्रिपाठी), ग्राम-बलौदा, तहसील-कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल-4.9 हेक्टेयर, रेत उत्खनन क्षमता-88,200 घनमीटर प्रतिवर्ष (ऑनलाईन प्रोजल क्रमांक 442525, फाईल क्रमांक 2662) - पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु।
- 495.8 मेसर्स टिकनपाल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री करण भानूशाली), ग्राम-टिकनपाल, तहसील व जिला-बस्तर, खसरा क्रमांक 263/1, 279/1, , 279/2, 279/3 एवं 280/1, कुल क्षेत्रफल-4.44 हेक्टेयर, चूना पत्थर उत्खनन क्षमता-1,07,100 टन प्रतिवर्ष (ऑनलाईन प्रोजल क्रमांक 443493, फाईल क्रमांक 2050) - पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु।

- 495.9 मेसर्स सोढाखुर्द सेण्ड माईन (श्री प्रेम पैकरा, सरपंच, ग्राम पंचायत छतौवा, ग्राम-सोढाखुर्द, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल-4.6 हेक्टेयर, रेत उत्खनन क्षमता-55,200 घनमीटर प्रतिवर्ष (ऑनलाईन प्रपोजल क्रमांक 443559, फाईल क्रमांक 2664) – पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु।
- 495.10 मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राइजेस, (खैरा लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-खैरा, तहसील-पलारी जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, खसरा क्रमांक-152/5, 152/6 156 एवं 158(पार्ट), कुल क्षेत्रफल-2.812 हेक्टेयर, चूना पत्थर उत्खनन क्षमता-67,797 टन प्रतिवर्ष (ऑनलाईन प्रपोजल क्रमांक 443671, फाईल क्रमांक 2465) – पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु।
- 495.11 मेसर्स बटुराबहार ऑर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.- श्री रंजीत किण्डो), ग्राम-बटुराबहार, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर, खसरा क्रमांक 1030/6, 1044, 999/2, 1030/2 एवं 1033, कुल क्षेत्रफल-3.042 हेक्टेयर, साधारण पत्थर उत्खनन क्षमता-25,070.5 टन प्रतिवर्ष (ऑनलाईन प्रपोजल क्रमांक 443721, फाईल क्रमांक 2666) – टी.ओ.आर. हेतु।
- 495.12 मेसर्स भिलाईखुर्द लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री हरप्रीत सिंह), ग्राम-भिलाईखुर्द, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 100/34, 135/1 एवं 135/2, कुल क्षेत्रफल-1.311 हेक्टेयर, चूना पत्थर उत्खनन क्षमता-10,331 टन प्रतिवर्ष (ऑनलाईन प्रपोजल क्रमांक 444102, फाईल क्रमांक 2669) – पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु।
